राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1711 दिनांकः 13.02.2026

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 में प्रावधान है कि मतदान मशीनों एवं मतपत्र द्वारा मतों को दिया जाना और अभिलिखित किया जाना किसी भी पंचायतीराज संस्था के निर्वाचनों में अंगीकृत किया जा सकेगा, जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देशित करता है कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 हेतु जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के समस्त वार्डो का निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्डपंच का निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से सम्पन्न करवाये जायेंगे।

भवदीय,

13/2/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/1712-19 दिनांकः 13.02.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।
7. संबंधित रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)(कलक्टर)।
8. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

13.02.2026

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

D:\kamal\panchayat 2020-S Main\Election\General Election, 2025 F.7(1)(1) PANCHA. SEC. 2025\letters.doc
149

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान